न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म	छोटेलाल .... बनाम .... जगदीश मु.नं. 18/23 मिश्रित
	28.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 120 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 120 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह०
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18/23	13.06.23	28.01.25

बउनवान

1. छोटेलाल पुत्र नारायण निवासी तारा का बास तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाबूलाल निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. नत्थी लाल पुत्र सम्पत निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. प्रभू पुत्र बाबूलाल निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. मंगतूराम पुत्र अर्जुन निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. मूली पत्नी बाबूलाल निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. रमेश चन्द पुत्र दीपू निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
7. रामखिलाडी पुत्र बाबूलाल निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
8. रामप्यारी पत्नी अर्जुन निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
9. रामप्यारी पत्नी सम्पत निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
10. लालचन्द पुत्र अर्जुन निवासी ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
11. राजस्थान सराकार जरिये तहसीलदार मण्डावर दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मधुसूदन सैनी, श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से, जरिये अभिभाषक, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा सं. 633 रकबा 0.54 हैक्टे., 647 रकबा 0.22 हैक्टे., कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. वाके ग्राम ऐदलपुर तहसील मण्डावर, जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रार्थी की कब्जा काश्त है। प्रार्थी उक्त भूमि पर अपने बुजुर्गों के समय से कब्जा काश्त है और उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। प्रार्थी के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की कोई साझेदारी व भागीदारी नहीं है। उक्त राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी के नाम मौजूद जमाबंदी में इन्द्राज है। प्रार्थी ने उक्त आराजी की मौके पर पत्थर गढी नहीं कर रखी है। प्रार्थी की भूमि से लगती हुई आराजी के खसरा सं. 648 रकबा 0.05 हैक्टे., 649 रकबा 0.86 हैक्टे., 650 रकबा 0.04 हैक्टे., 651 रकबा 0.05 हैक्टे., 652 रकबा 0.06 हैक्टे. कुल किता 5 भूमि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 की खातेदारी भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने अपनी आराजी की पैमाईश बाबत तहसीलदार मण्डावर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार मण्डावर के आदेश कमांक 1138–45 दिनांक 09.06.2020 से उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करने के

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

लिये आराजी पर तहसीलदार मण्डावर द्वारा गठित टीम ने प्रार्थी की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दु में जरीब चला कर सीमाज्ञान किया व निशान लगाये, मौके पर पर्चा रिपोर्ट बनाई गयी। प्रार्थी ने उक्त पैमाईश व सीमाज्ञान के निशान पर पत्थरगढी करवाना चाहा तो प्रार्थी के पडौसी खातेदार 1 लगायत 10 सभी एकराय होकर प्रार्थी के पास आ गये और प्रार्थी को पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है जबकि प्रार्थी ने हाथ जोड कर कहा कि मैं तो हमारी खातेदारी की भूमि पर ही पैमाईश के अनुसार ही पत्थरगढी कर रहा हूं और अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 नाराज हो गये और प्रार्थी को पत्थरगढी नहीं करने दी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि तहसीलदार मण्डावर को आदेशित करे कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इमदाद की मदद से पत्थरगढी करवाई जाने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किये। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 633 तथा 647 के प्रार्थी दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का दिनांक 18.06.2020 को तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐदलपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा सं. 633 रकबा 0.54 हैक्टे., 647 रकबा 0.22 हैक्टे., कुल रकबा 0.76 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक हल्दैना को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक हल्दैना मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)